भोजशाला मामले में कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण

मां वाग्देवी की प्रतिमा भारत वापस लाने सरकार को विचार करने का निर्देश स्वागतयोग्य

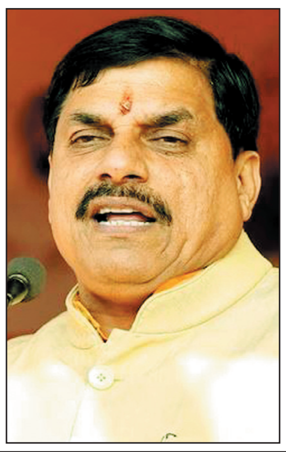

भोपाल, 15 मई. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोजशाला मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को महत्वपूर्ण बताया है.

डॉ यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहा है, 'माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धार की ऐतिहासिक भोजशाला को संरक्षित स्मारक एवं मां वाग्देवी की आराधना स्थली मानते हुए दिया गया निर्णय हमारी सांस्कृतिक विरासत, आस्था और इतिहास के सम्मान का महत्वपूर्ण क्षण है. एएसआई के संरक्षण एवं प्रबंधन में भोजशाला की गरिमा और अधिक सुदृढ़ होगी तथा श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना का अधिकार सुनिश्चित होगा.'

मुख्यमंत्री ने कहा है, 'मां वाग्देवी की प्रतिमा को यूके से भारत वापस लाने के संबंध में केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश स्वागतयोग्य है. इस दिशा में राज्य सरकार भी आवश्यक प्रयास करेगी.' उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सदैव 'सर्वधर्म समभाव', सामाजिक समरसता और भाईचारे की वाहक रही है.हम न्यायालय के निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हैं और प्रदेश में सौहार्द, सांस्कृतिक गौरव एवं सामाजिक सद्भाव को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय का यह निर्णय स्वागतयोग्य है. राज्य सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी.

सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन आमंत्रित

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली स्मृति में सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया गया है. यह सम्मान सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, न्याय प्रियता, सुशासन, दानशीलता, प्रजावत्सलता एवं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, उज्जैन द्वारा संस्कृति विभाग के सहयोग से स्थापित सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की राशि 1 करोड़ 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इसके साथ ही 21 लाख रुपये का राष्ट्रीय सम्मान और पांच-पांच लाख रुपये के तीन शिखर सम्मान भी स्थापित किए गए हैं. यह सम्मान भारत की सांस्कृतिक गरिमा को विश्व मंच पर नई पहचान प्रदान करेगा. इच्छुक संस्थाएं एवं व्यक्ति 20 मई तक सम्मान के लिए नामांकन भर सकते है.

एमपी में भीषण गर्मी : दोपहर में सतर्क रहने की सलाह

40 जिलों में लू का अलर्ट

भोपाल, 15 मई. मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. बीते दिनों आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गया है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के करीब 40 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है. खासतौर पर मालवा-निमाड़ क्षेत्र के जिलों में हालात अधिक गंभीर बने हुए हैं.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सबसे अधिक गर्मी महसूस होगी. लोगों को बिना जरूरी काम घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में 15 से 17 मई तक तीव्र लू के साथ 'वॉर्म नाइट' की चेतावनी जारी की गई है. यानी रात में भी तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.

प्रदेश में कई शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया. शाजापुर और नौगांव सबसे गर्म रहे, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. खरगोन में 44.6 डिग्री, खंडवा और रतलाम में 44.5 डिग्री, जबकि खजुराहो में 44.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. बड़े शहरों में उज्जैन 44 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. भोपाल में 43.4 डिग्री, जबलपुर में 43.3 डिग्री और इंदौर में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, सीहोर, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, सतना, रीवा और सिंगरौली सहित कई जिलों में गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी. वहीं जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट और बैतूल में तेज गर्मी रहेगी, हालांकि फिलहाल लू का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है. विशेषज्ञों ने दोपहर के समय धूप से बचने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है.

मंत्री कुशवाह ने किया समस्याओं का समाधान

पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी कठिनाइयों को समझा

जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हुआ, उन्हें निराकरण के लिए भेजा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 15 मई. कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया.

जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सका, उन्हें संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है.

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी कठिनाइयों को समझा और उन्हें जल्द से जल्द समाधान दिलाने का आश्वासन दिया.

भाजपा अजा मोर्चा के दो जिलाध्यक्ष घोषित

भोपाल. भाजपा अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह परमार ने मोर्चा के दो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है. राकेश चौहान को धार नगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, वहीं डॉ. विष्णु मालवीय को राजगढ़ जिले का मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया गया है.

भोजशाला निर्णय सत्य और सनातन की जीत : रामेश्वर

भोपाल, 15 मई. धार स्थित भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानने संबंधी उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए भोपाल की हुजूर विधानसभा से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे 'सत्य और सनातन की जीत' बताया है.

शर्मा ने एक बयान में कहा कि 'सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, यह आज एक बार फिर साबित हुआ है.' उन्होंने कहा कि भारत के सनातन धर्म पर लगातार आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, वेद-पुराण जलाए गए और लाखों हिंदुओं का रक्त बहाया गया, लेकिन हिंदू समाज अपनी संस्कृति और धर्म के लिए संघर्ष करता रहा. उन्होंने कहा कि धार भोजशाला के लिए भी सनातन समाज ने लंबी लड़ाई लड़ी और न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखा. आज न्यायालय के निर्णय से सत्य की जीत हुई है. विधायक शर्मा ने सनातन धर्म के लिए संघर्ष करने वाले 'करोड़ों बलिदानी हिंदुओं' को नमन करते हुए कहा कि यह सनातन की विजय है.

भोजशाला : शाजापुर में प्रशासन अलर्ट

फैसले से पहले चप्पे-चप्पे पर तैनात रहे पुलिसकर्मी

शाजापुर,15 मई. धार स्थित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का फैसला आने के मद्देनजर प्रशासन सजग रहा.

इसके पहले फैसले को लेकर शाजापुर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर रहा और नगर के संवेदनशील इलाकों में सुबह से ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अफसरों द्वारा शहर में लगातार गश्त की जा रही थी. अधिकारियों द्वारा प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया.

भाजपाइयों ने की आतिशबाजी

दोपहर में इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें फैसला हिन्दुओ के पक्ष में दिया. इस फैसले के बाद नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. शुक्रवार शाम को भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटी. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्रीराम और सनातन धर्म की जय के नारे लगाए. सर्व हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष और भाजपा नगर अध्यक्ष आशीष नागर ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं.

तेल गोदाम में लगी आग, दमकल वाहनों ने पाया काबू

भिण्ड. शहर में इटावा रोड स्थित 17वीं बटालियन के सामने एक तीन मंजिला इमारत में आज शुक्रवार को भीषण आग लग गई. आग में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है. आग दूसरी मंजिल पर बने सरसों तेल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी बताई जा रही है. इमारत के भूतल पर कलर-पेंट का गोदाम संचालित होता है, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल पर सरसों तेल का भंडारण किया गया था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दूसरी मंजिल से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते आग ने दूसरी तथा तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया.

विश्वविद्यालय में संबद्धता प्रक्रिया में अनियमितता

एनएसयूआई ने की निष्पक्ष जांच की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 15 मई. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में महा विद्यालयों को दी जा रही संबद्धता प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर और जिला गैर-तकनीकी प्रमुख आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि कई महाविद्यालयों को बिना उचित निरीक्षण तथा निर्धारित नियमों का पालन किए संबद्धता प्रदान की जा रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि पर्याप्त सत्यापन के बिना ही कॉलेज प्रोफाइल को मंजूरी देकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करा दी गई है. संगठन के अनुसार कई संस्थानों की फाइलें वास्तविक स्थल निरीक्षण के बिना ही स्वीकृत की जा रही हैं, जिससे उच्च शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने मांग की कि विश्वविद्यालय द्वारा एक स्वतंत्र निरीक्षण समिति गठित कर संबंधित महाविद्यालयों का भौतिक सत्यापन कराया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कार्यपरिषद (ई.सी.) की अनुशंसा के बिना किसी भी कॉलेज को संबद्धता नहीं दी जानी चाहिए. छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा. एनएसयूआई इकाई उपाध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी ने कहा कि छात्रों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पेज एक का शेष

धार भोजशाला वाग्देवी मंदिर

यह रहा फैसले का आधार...

हाईकोर्ट ने भोजशाला मामले में अपना निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेजों और उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया गया. कोर्ट ने माना कि इन साक्ष्यों से स्थल की ऐतिहासिक और धार्मिक प्रकृति को समझने में पर्याप्त आधार मिलता है, जिसे निर्णय का प्रमुख आधार बनाया गया.

प्रबंधन को लेकर यह कहा कोर्ट ने...

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है, इसलिए इसके प्रबंधन, संचालन और व्यवस्था को लेकर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा लिया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक आस्था दोनों पहलुओं का संतुलन जरूरी होगा.

क्यों किए पुराने आदेश निरस्त...

हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 में लागू की गई पूजा और नमाज की व्यवस्था को निरस्त करते हुए कहा कि यह आदेश वर्तमान में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के अनुरूप नहीं पाया गया. कोर्ट ने माना कि परिस्थितियों और प्रमाणों के आधार पर इस व्यवस्था पर पुनर्विचार आवश्यक था.

बस स्टैंड बैढ़न के परिसर में शराबियों ने भाजी लाठियां

आपस में जमकर हुई मारपीट, कोतवाली बैढ़न का मामला

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 15 मई। कोतवाली बैढ़न से चन्द कदम दूर अंतरराज्यीय बस स्टैंड परिसर बैढ़न के शराब दुकान के समीप आज शुक्रवार की दोपहर करीब आधा दर्जन शराबी जमकर लठ चलाए। हालांकि घटना की सूचना पुलिस तक नही पहुंची है। लेकिन घटना के वक्त स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया था।

दरअसल बस स्टैंड के शराब दुकान के सामने अचानक किसी बात को लेकर करीब आधा दर्जन अराजक तत्व आपस में लाठी-डण्डे से मारपीट शुरू कर दिये। पहले गाली-गलौज दे रहे थे, इसके बाद बेदम पीटाई शुरू हो गई है। यहां तक कि ठेला व्यापारी भी मारपीट करने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान परिसर में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया था। दूसरे पक्ष के संख्या बल देख एक पक्ष भाग खड़ा हुआ। हालांकि घटना की रिपोर्ट किसी भी पक्ष के द्वारा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज नही कराई गई है, लेकिन शहर में पुलिस के प्रति अराजक तत्वों में खौफ नही रह गया है, इसीलिए आये दिन मारपीट सहित अन्य घटनाएं होती रहती हैं। प्रबुद्धजनों का मानना है कि ऐसे अराजक तत्वों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आरोपियों को पुलिस के प्रति भय पैदा हो।

युवक की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

बरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम गोदवाली के मुकेश कुमार पिता लखपति बैस उम्र 30 वर्ष बीते दिन गुरूवार को इलाज कराने जयंत नेहरू अस्पताल आया था, जहां खाना खा कर सो गया और सुबह उसका शव मिला। जानकारी के अनुसार गोदवाली निवासी एक युवक बीपी एवं सुगर से पीड़ित था। इलाज कराने नेहरू शताब्दी चिकित्सालय आया हुआ था। बीती शाम जयंत सेक्टर नम्बर 4 एनसीएल क्वाटर अपने चाचा के कमरे में रूका था और रात में तबियत खराब हो गई। सुबह इसकी जानकारी मिलते ही जयंत पुलिस चौकी प्रभारी अरूण सिंह पहुंच दरवाजा खुलवाया, जहां युवक का शव मिला। प्रभारी ने तत्काल फोरेंसिक टीम बुलाकर वीडियो एवं फोटोग्राफी कराया। चर्चा है कि युवक की हालत पहले से ही खराब थी और बीपी सुगर काफी हाई लेवल में था। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर दी जान

ग्वालियर. शहर में जनकगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 17 वर्षीय किशोर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. कमानी पुल स्थित सात भाई की गोठ निवासी नमन पवार रात घर लौटा था. इसके बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन कर सो गए. सुबह करीब सात बजे उसका छोटा भाई मानव पवार दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पहुंचा, जहां नमन पंखे के कुंदे से साड़ी के सहारे फंदे पर लटका मिला. यह देखकर उसने शोर मचाया, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे. परिजनों ने नमन को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आत्महत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है. मामले की जांच की जा रही है.

नाम सुधार सूचना

मैं सियाराम वर्मा पिता श्री गैवीलाल वर्मा जन्मतिथि 1-01-1991 ग्राम कपुरी पोस्ट दुरेहा तहसील नागौद का निवासी हूँ। मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में मेरे एवं मेरे पिता के नाम के साथ जाति वर्मा के स्थान पर चर्मकार दर्ज हो गया है। जबकि हमारे समस्त दस्तावेजों में वर्मा ही दर्ज है। अत: मेरे द्वारा इस समाचार पत्र के माध्यम से यह सूचना दर्ज करायी जा रही है । कि आज दिनांक के बाद मेरे एवं पिता के नाम के बाद चर्मकार के स्थान पर वर्मा लिखा व पढ़ा जाय।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P.C. देखें

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **1.वेद प्रकाश सेन पुत्र** श्री मंगली प्रसाद सेन, **2.रश्मि पत्नी** चन्द प्रकाश, **निवाशः** वीपीओ एवं थानाः अजयगढ़, जिलाः पन्ना, मध्य प्रदेश (दोनो का निवास समान है) ने **FIR No. 517/20 U/s 498A/406/34 IPC.**, **थानाः न्यू अशोक नगर, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उन्होंने किया है) और उन पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **1.वेद प्रकाश सेन 2.रश्मि** मिल नही रहे हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **1.वेद प्रकाश सेन 2.रश्मि** फरार हो गये हैं (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहे हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 517/20 U/s 498A/406/34 IPC.**, **थानाः न्यू अशोक नगर, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **1.वेद प्रकाश सेन 2.रश्मि** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **10.07.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
रितिका कंसल
जेएमएफसी (महिला कोर्ट)-02, कमरा नं. 02
कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

DP/6316/ED/2026
(Court Notice)

सरकार गेहूं खरीदी व्यवस्था में विफल : कुणाल

विशेष संवाददाता

भोपाल, 15 अप्रैल. कांग्रेस सचिव कुणाल चौधरी ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश सरकार पर किसानों को 'झूठे प्रचार' के जरिए गुमराह करने तथा गेहूं खरीदी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने में विफल रहने का आरोप लगाया.

भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में चौधरी ने कहा कि वर्ष 2026 को 'कृषि उत्सव वर्ष' घोषित करने के बावजूद भाजपा सरकार किसानों को अव्यवस्था, आर्थिक संकट और खरीदी में देरी से जूझने के लिए मजबूर कर रही है. इस अवसर पर मुकेश नायक, राहुल राज, रितेश त्रिपाठी और सुभाष भी उपस्थित रहे. उन्होंने सरकार के विज्ञापनों का हवाला देते हुए कहा कि यदि प्रदेश में इस वर्ष 365.11 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन हुआ है, तो खरीदी का लक्ष्य मात्र लगभग 100 लाख मीट्रिक टन क्यों रखा गया. चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर किसानों को मंडियों में कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर कर रही है. कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेशभर के खरीदी केंद्रों पर कट्टों की कमी, वेयरहाउस भरे होने और स्टॉक उठाव में देरी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसके कारण किसानों को कई-कई दिनों तक कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि फरवरी से गेहूं मंडियों में आने लगा था और केंद्र सरकार ने लगभग 78 लाख मीट्रिक टन खरीदी कोटा पहले ही स्वीकृत कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने खरीदी प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू की.

मादक पदार्थों के कारोबार पर शिकंजा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 15 मई. मध्यप्रदेश पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण और बिक्री के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान तेज करते हुए पिछले पांच दिनों में 1.43 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की मादक सामग्री और संबंधित संपत्ति जब्त की है.

विभिन्न जिलों में की गई कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में गांजा, एमडी ड्रग्स, अफीम और स्मैक बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. सबसे बड़ी कार्रवाई शहडोल जिले में हुई, जहां पुलिस ने लगभग चार क्विंटल गांजा जब्त किया. इस कार्रवाई में तीन चारपहिया वाहन और सात मोबाइल फोन भी बरामद किए गए. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 75 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री भी जब्त की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रदेशभर में नशे के नेटवर्क के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी तथा नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई है.

नाम सुधार सूचना

मैं रवि कुमार शामनानी (RAVI KUMAR SHAMNANI) पिता श्री सुरेश कुमार शामनानी (SURESH KUMAR SHAMNANI) निवासी सिंधी कालोनी सतना थाना कोलगवां जिला सतना म.प्र. का हूँ। मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रवि कुमार शामनानी (RAVI KUMAR SHAMNANI) पिता श्री सुरेश कुमार शामनानी (SURESH KUMAR SHAMNANI अंकित है किन्तु कक्षा 09 से 12 तक की अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रवि शामवानी (RAVI SHAMWANI) पिता सुरेश कुमार शामवानी (SURESH KUMAR SHAMWANI) दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम रवि कुमार शामनानी (RAVI KUMAR SHAMNANI) पिता श्री सुरेश कुमार शामनानी (SURESH KUMAR SHAMNANI) है इसलिए जहां पर भी मेरा रवि शामवानी (RAVI SHAMWANI) पिता सुरेश कुमार शामवानी (SURESH KUMAR SHAMWANI) हो उसके स्थान पर अब आगे भविष्य में रवि कुमार शामनानी (RAVI KUMAR SHAMNANI) पिता श्री सुरेश कुमार शामनानी (SURESH KUMAR SHAMNANI) अंकित किया, पढ़ा व माना जाय।

भवदीय- रवि कुमार शामनानी

कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा (म0प्र0)

क्रमांक /1313/राजस्व/न.पा.नि./2026 रीवा, दिनांक 15/05/2026

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति के नामांतरण के आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के अवधि में इस कार्यालय के नामांतरण शाखा में प्रमाणित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समय अवधि पश्चात् कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जावेगी। तत्पश्चात् नामांतरण की विधिवत् कार्यवाही की जावेगी।

क्र	प्रकरण क्रमांक	वार्ड/ भवन क्रमांक (भवन की स्थिति	इन्द्राजी का नाम	नामांतरण ग्रहिता	नामांतरण का आधार
1	609	11/251 मौजा बरा तिलक नगर जिला रीवा (म.प्र.)	श्री विपिन बिहारी त्रिपाठी पिता श्री मूर्ति प्रसाद त्रिपाठी	श्रीमती गायत्री देवी द्विवेदी पति श्री त्रयम्बक प्रसाद द्विवेदी	क्रय -विक्रय
2	608	13/832 मौजा समान स्थित नेहरू नगर, जिला रीवा (म0प्र0)	श्रीमती मानवती गौतम पति श्री विश्वनाथ गौतम	श्री गंगा प्रसाद यादव पिता स्व0 श्री रामप्रताप यादव	क्रय -विक्रय
3	627	05/1753 पद्मधर हाउसिंग बोर्ड कालोनी ढेकहा, जिला रीवा (म0प्र0)	श्री अभिनव त्रिपाठी पिता श्री जी.पी. त्रिपाठी	श्री दीपनारायण मिश्रा पिता श्री जी.पी. मिश्रा	क्रय -विक्रय

उपायुक्त (राजस्व)
हेतु आयुक्त
नगर पालिक निगम रीवा, (म.प्र.)